कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी नैनीताल (हल्द्वानी)
ईमेल–cfontl.ukfs@gmail.com

पत्रांक–सी0एफ0ओ0–न–6 (इ0)/2023 दिनांक–अगस्त27,2023

सेवा में,

OWNER / MANAGER
SHEMFORD SCHOOL
JAIPUR BEESA, MOTAHALDU HALDWANI,
DISTT. NAINITAL, UTTARAKHAND

विषय– अग्निशमन सुरक्षा सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण पत्र के नवीनीकरण के सम्बन्ध में।

कृपया उपरोक्त विषयक एवं आवेदक के आवेदन पत्र संख्या–25914485 दिनांक–14.08.2023 के परिपेक्ष्य में इस कार्यालय के निर्गत आदेश दिनांक–15.08.2023 के अनुपालन में प्रभारी अग्निशमन अधिकारी हल्द्वानी द्वारा **SHEMFORD SCHOOL JAIPUR BEESA, MOTAHALDU HALDWANI,** का प्राथमिक अग्निसुरक्षा दृष्टिकोण से निरीक्षण किया गया उक्त के अनुसार वर्तमान में निम्नांकित अग्निशमन सुरक्षा पाई गयी।

1. परिसर में रिजर्व वाटर टैंक **20 हजार ली0** क्षमता का प्राविधान किया गया है।
2. संस्थान परिसर में 21 अदद एबीसी टाईप फायर एक्सटिंग्यूशर–04 किग्रा, 03 अदद सी0ओ0–2 टाईप फायर एक्सटिंग्यूशर–4.5 क्षमता एवं 02 अदद होजरील मय फिटिंग्स का प्राविधान किया गया है।
3. सभी बाहर निकलने या बचाव के रास्ते, सैटबेक तथा सीढ़ियां प्रत्येक दशा में अवरोध मुक्त रखी गयी हैं।
4. आपके संस्थान में कार्यरत कर्मचारियों को उपलब्ध अग्निशमन यन्त्रों का सुरक्षित निष्क्रमण प्रक्रिया का ज्ञान होना आवश्यक है।
5. विद्युत स्विच बोर्ड/विद्युत पैनल के आस–पास तथा निकास मार्ग, भवन सैटबेक क्षेत्र में किसी ज्वलनशील सामग्री का भण्डारण नहीं किया जाएगा, भण्डारण किये जाने पर यह प्रबन्धन की लापरवाही मानी जायेगी तथा भविष्य में अग्निदुर्घटना घटित होने पर बीमा दावे हेतु संस्तुति नहीं की जायेगी।
6. प्रत्येक 02 वर्ष से पूर्व इस कार्यालय से अग्निशमन यन्त्रों का परीक्षण कराकर (नियमानुसार 10 रू0 प्रति फायर एक्सटिंग्यूशर टैस्टिंग शुल्क) निर्धारित शुल्क– (फायर सर्विस हैड 0070 अन्य प्रशासनिक सेवाऐं 60 अन्य सेवायें, 109 अग्नि से संरक्षण एवं नियन्त्रण कराया जाएगा) अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र का नवीनीकरण कराया जाना अनिवार्य होगा। प्रमाण पत्र नवीनीकृत नहीं कराये जाने की दशा में यह अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त समझा जाएगा। साथ ही **प्रत्येक छः माह मे भवन अथवा परिसर में अग्निसुरक्षा व्यवस्था एवं उपकरणों की स्थिति संतोषजनक एवं कार्यशील होना का स्वःघोषणा प्रमाण पत्र/SELF AUDIT REPORT प्रस्तुत/अपलोड करना होगा**।
7. निर्गत अग्निसुरक्षा प्रमाण पत्र का उपयोग किसी अवैध निर्माण, कब्जे को नियमित करने के लिए मान्य नहीं होगा।

अतः इस कार्यालय से दिये गये निर्देश/सुझाव तथा शर्तों का पालन किये जाने एवं **प्रभारी अग्निशमन अधिकारी हल्द्वानी द्वारा मुझ अद्योहस्ताक्षरी कार्यालय को प्रेषित संस्तुति आख्या पत्रांक–नं–/फा0स0/2023 के आधार पर SHEMFORD SCHOOL JAIPUR BEESA, MOTAHALDU HALDWANI,** दिनांक 27.08.2023 से 26.08.2026 तक अधिभोग(Occupancy)/अध्यासन किए जाने हेतु अग्निसुरक्षा दृष्टिकोण से इस कार्यालय को कोई आपत्ति नहीं है।

अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है।

27.08.23

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
नैनीताल (हल्द्वानी)

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
नैनीताल (हल्द्वानी)